मध्य रेल

प्रमुख मुख्य विद्युत अभियंता का कार्यालय
छत्रपति शिवाजी म. टर्मिनस मुंबई-400001

सं: L.102.LG.5.Safety/Accident/31

दिनांक: 23.10.2025

Sr. DEE (TRO) BB
SrDME/OP/PA

CEE (OP) Instruction No. 09/2025 (Ammended)

विषय: घाट सेक्शन में डाउन ग्रेडिएंट पर गाड़ी के परिचालन के सम्बन्ध में

दिनांक 16.10.2025 को मुंबई मंडल के दक्षिण पूर्व घाट के ठाकुरवाड़ी केबिन पर 11302 उद्यान एक्सप्रेस के SPAD का मामला हुआ। मामले के विश्लेषण में यह पाया गया कि गाड़ी की गति पीला सिग्नल पार करने के बाद कम नहीं की गयी और लाल होम सिग्नल के पास पहुंचने पर लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट द्वारा 50 kmph की गति पर इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया। गाड़ी की गति अधिक होने और देर से इमरजेंसी ब्रेक लगाने के कारण SPAD को रोका नहीं जा सका।

उपरोक्त को देखते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:

1. एक पीला संकेत पार करते ही गाड़ी की गति घटा कर 30 kmph पर लायी जाएगी । यदि लोको पायलट द्वारा पीला सिग्नल पार करने के बाद स्पीड नहीं घटाई जाती है और गाड़ी की गति 40 kmph से अधिक रहती है तो सहायक लोको पायलट द्वारा तुरंत आर एस वाल्व खोल दिया जायेगा ।

2. होम सिग्नल से पहले लगे स्टॉप बोर्ड (कालिंग आन बोर्ड) पर गाड़ी की गति अधिकतम 10 kmph होनी चाहिए। यदि लोको पायलट द्वारा स्पीड नहीं घटाई जाती है और स्टॉप बोर्ड (कालिंग आन बोर्ड) पर गाड़ी की गति 15 kmph से अधिक रहती है तो सहायक लोको पायलट द्वारा तुरंत आर एस वाल्व खोल दिया जायेगा ।

कृपया सभी रनिंग स्टाफ को इस सम्बन्ध में काउंसिल किया जाना सुनिश्चित करें ताकि चालक दल द्वारा ब्रेक देर से लगाने के कारण होने वाले SPAD के मामलों को रोका जा सके।

यह निर्देश प्रमुख मुख्य विद्युत अभियंता/मध्य रेल की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

22/10/2024

(संजय सिंह)

मुख्य विद्युत अभियंता/परिचालन